

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठारसीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 103/2022

उनवान

1. बदाम देवी पत्नी महावीर ब्राह्मण नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री भवरलाल पिता गोविन्द राम महाजन नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
2. मथुरा लाल पिता रामदयाल दरोगा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
3. राजमल पिता रामदयाल दरोगा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
4. प्रकाश पिता चांदमल दरोगा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
5. करण सिंह पिता कन्हैयालाल दरोगा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
6. गोपाल सिंह पिता कन्हैयालाल नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
7. कुममी पत्नी चांदमल दरोगा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
8. संतोक पत्नी माधवलाल शर्मा नि० मंगरोप तह० हमीरगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहरीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 08.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप 1 भू.अ.नि. मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 4747/409 रकबा 0.2592है०, आ.न. 4709/410 रकबा 0.0253है०, आ.न. 4711/411 रकबा 0.0316है०, आ.न. 4727/408 रकबा 0.5691है०, आ.न. 4728/408 रकबा 0.0126है० कुल कित्ता 05 कुल रकबा 0.8978है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अगल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप 1 भू.अ.नि. मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 4747/409 रकबा 0.2592है०, आ.न. 4709/410 रकबा 0.0253है०, आ.न. 4711/411 रकबा 0.0316है०, आ.न. 4727/408 रकबा 0.5691है०, आ.न. 4728/408 रकबा 0.0126है० कुल कित्ता 05 कुल रकबा 0.8978है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कगिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कगिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ न.।